

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डी-880/एनए(5)-3 दिनांक 11.02.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कुल ₹ 291.53 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की कुल धनराशि ₹ 72.8825 (₹ बहत्तर लाख अटठासी हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
नगर निगम, लखनऊ	शंकरपुरवा द्वितीय वाई के अन्तर्गत फूलबाग कालोनी में विभिन्न गलियों में सड़क/नाली निर्माण कार्य	291.53		
	योग	291.53	291.53	72.8825

(₹ बहत्तर लाख अटठासी हजार दो सौ पचास मात्र)

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।



7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
 9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
 11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-61/2015/616(1)/नौ-5-2015-36बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्टर कोषागार, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

9
/c

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-16/03/2015


प्रेषण संख्या:- 61-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 001-61-2015-616-9-5-2015-36Budget-2015
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7288250 221000250	7288250 221000250
	योग	वर्तमान प्रगामी	7288250 221000250	7288250 221000250

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बहत्तर लाख अठासी हजार दो सौ पचास

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बाइस करोड़ दस लाख दो सौ पचास


(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-342/मु.अ./न.आ. दिनांक 12.01.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कुल ₹ 31.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की कुल धनराशि ₹ 7.7725 (₹ सात लाख सतहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
नगर निगम, लखनऊ	1. शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत कल्याणपुर भुइयनदेवी मन्दिर से बंशीलाल के मकान होते हुए गणेश चौरसिया तक सड़क/नाली सुधार कार्य	13.79		
	2. शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत बहादुरपुर में केशवार टेलर्स से वीरेन्द्र कुमार वर्मा के मकान तक सड़क/नाली कार्य	16.99		
	एक प्रतिशत लेबर सेस	0.31		
	योग	31.09	31.09	7.7725

(₹ सात लाख सतहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र)

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

Yam

4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
 5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
 6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
 9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
 11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-65/2015/902(1)/नौ-5-2014-36बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्टर कोषागार, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

9
/C

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-16/03/2015


प्रेषण संख्या:- 65-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 001-65-2015-902-9-5-2015-36Bud-15
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	777250 221777500	777250 221777500
	योग	वर्तमान प्रगामी	777250 221777500	777250 221777500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख सतहत्तर हजार दो सौ पचास

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बाइस करोड़ सत्रह लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ


(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:- दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-777/एन.ए.(5)/3 दिनांक 27.01.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कुल ₹ 217.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 25 प्रतिशत की कुल धनराशि ₹ 54.34 (एक सौ चालीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राहस्य स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
नगर निगम, लखनऊ	1. शंकरपुरवा प्रथम वार्ड के अन्तर्गत पंत नगर में म.सं.85/90, के.एन.पाण्डे, अब्दुल हाय एवं गार्डन पार्क के चारों तरफ सड़क/नाली एवं साइड पटरी सुधार कार्य	55.07		
	2. जानकीपुरम प्रथम वार्ड के अन्तर्गत जानकीपुरम सेक्टर एफ में बून्स रेस्टोरेंट ई-2/277 से ई-2/378 तक तथा आकांक्षा परिसर चौराहे से अलिशा नगर होते हुए मडियांव गांव मुख्य मार्ग तक सड़क/नाली निर्माण कार्य	159.51		
	एक प्रतिशत लेबर सेस	2.76		
	योग	217.34	217.34	54.34

(₹ एक सौ चालीस हजार मात्र)

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत वित्त संबंधित जवाबदारी के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जवाबदारी के मुख्य अधिकारी/सहायक अधिकारी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अर्पित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीघ्र प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके विवरण उपरोक्त तालिका में है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ को शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा जारी किया गया है। निकाय द्वारा अनुपालन कराया जायेगा।

Yam

अनुपालन

4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
 5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
 6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
 9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
 11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-66/2015/903(1)/नौ-5-2015-36बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्टर कोषागार, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

9
/c

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-16/03/2015

प्रेषण संख्या:- 66-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 001-66-2015-903-9-5-2015-36Bud-15
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5434000 227211500	5434000 227211500
	योग	वर्तमान प्रगामी	5434000 227211500	5434000 227211500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौवन लाख चौंतीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बाइस करोड़ बहत्तर लाख ग्यारह हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-408/न.आ. दिनांक 02.01.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कुल ₹ 240.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की कुल धनराशि ₹ 60.65 (₹ साठ लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
नगर निगम, लखनऊ	1. हैदरगंज द्वितीय के अन्तर्गत प्रभातपुरम में शेषराज सिंह के घर से वर्मा क्लीनिक तथा अतुल कपूर से एस.बी. कुरील तथा कृष्णपाल से रामकुमार वर्मा से होते हुए जितेन्द्र जनरल स्टोर तक सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग टाइल्स निर्माण कार्य	67.47		
	2. सआदतगंज वार्ड के अन्तर्गत अशोक विहार में चन्द्र शेखर के घर से मोतीलाल के घर तक तथा विनय से बृजेश की तरफ होते हुए सुशील तक सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग निर्मा	63.48		
	3. विवेकानन्दपुरी वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-सी महानगर में मा0 जज श्री ज्ञान चन्द्र के मकान नं.सी.849 से पानी की टंकी तिराहा तक एवं मकान नं. सी-725 से म.नं.सी-710, ओमवीर सिंह होते हुए मन्दिर तक तथा म.नं.सी-726 से पार्क तक सड़क/नाली निर्माण	51.79		
	4. शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत विनायक सिटी तकरोही में म.नं. 44ए विनायक सिटी की गली तक सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	7.32		
	5. शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत विनायक सिटी तकरोही में शिवकुमार दुबे की गली तक सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग	7.28		
	6. शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत विनायक सिटी तकरोही में अनिल पाण्डेय की गली तक सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग	7.53		
	7. शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत विनायक सिटी तकरोही	7.53		

Yam

✓

जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
	में यशपाल की गली तक सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग			
	8. शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत विनायक सिटी तकरोही में प्रदीप अरोरा की गली तक सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग	7.56		
	9. शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत विनायक सिटी तकरोही में मुख्य सड़क पुलिस चौकी से वर्मा जी के मकान तक सड़क/नाली निर्माण	17.93		
	एक प्रतिशत लेबर सेस	2.37		
	योग	240.26	240.26	60.65

(₹ साठ लाख पैसठ हजार मात्र)

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/ डाकघर/पी.एल.ए./ डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
- वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

Yamini

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना- 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भयदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-67/2015/904(1)/नौ-5-2015-36बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्टर कोषागार, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

9/c

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-16/03/2015

प्रेषण संख्या:- 67-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 001-67-2015-904-9-5-2015-36Bud-15
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6065000 233276500	6065000 233276500
	योग	वर्तमान प्रगामी	6065000 233276500	6065000 233276500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया साठ लाख पैंसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया तेइस करोड़ बत्तीस लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डी-199/एनए 5-4 दिनांक 16.08.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कुल ₹ 192.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 25 प्रतिशत की कुल धनराशि ₹ 48.625 (₹ अड़तालीस लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
नगर निगम, लखनऊ	1. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-13 म.सं. 13/126 पिकनिक स्पॉट रोड से म.सं.13/270 तक इंटरलाकिंग निर्माण	9.97		
	2. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-10 इंदिरानगर में म.सं. 10/427 से म.सं.10/394 तक सड़क/नाली निर्माण	8.00		
	3. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत खलील मार्केट में साइड पटरी पर इंटरलाकिंग का कार्य	9.85		
	4. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में म.सं. 12/626 से म.सं.12/642 तक सड़क/नाली सुधार	7.99		
	5. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में म.सं. 12/585 से म.सं.12/568 तक सड़क/नाली सुधार	6.86		
	6. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में म.सं. 12/552 से म.सं.12/535 तक सड़क/नाली सुधार	8.00		
	7. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में म.सं. 12/510 से म.सं.12/520 तक सड़क/नाली सुधार	7.94		
	8. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में म.सं. 12/306 से म.सं.12/30 तक सड़क/नाली व इंटरलाकिंग निर्माण	7.73		

Yans

जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
	9. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में म.सं. 12/215 से म.सं.12/228 तक सड़क/नाली व इंटरलाकिंग कार्य	7.53		
	10. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-9 इंदिरानगर में म.सं. 9/461 से 9/491 होते हुए टाइम्स वैलू तक सड़क/नाली निर्माण कार्य	7.96		
	11. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में कोहिनूर प्लाजा से चन्द्रमा सुप्रीमों तक सड़क/नाली कार्य	24.51		
	12. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में म.सं.12/98 से 12/40 तक सड़क/नाली व इंटरलाकिंग कार्य	7.87		
	13. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-10 इंदिरानगर में म.सं.10/402 से 10/441 तक सड़क/नाली	7.92		
	14. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में म.सं.12/293 से 12/286 होते हुए शिव मंदिर पार्क के चारों तरफ तक सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण	7.73		
	15. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में भगवतीपुरम में तक सड़क/नाली व इंटरलाकिंग	7.91		
	16. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 इंदिरानगर में कोहिनूर प्लाजा से म.सं.12/98 तक सड़क/नाली व इंटरलाकिंग कार्य	7.65		
	17. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-13 इंदिरानगर में म.सं.13/125 से 13/117 होते हुए 13/270 तक सड़क/नाली निर्माण कार्य	7.49		
	18. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-9 इंदिरानगर में म.सं.9/23 से 9/215 होते हुए 9/206 तक सड़क/नाली सुधार कार्य	7.96		
	19. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-9 इंदिरानगर में म.सं.9/83 से 9/464 होते हुए भोले जनरल स्टोर तक सड़क/नाली निर्माण कार्य	7.81		
	20. सआदतगंज में सड़क/नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	6.42		
	21. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 म.सं.12/215 से 12/280 तक सड़क/नाली व इंटरलाकिंग	7.60		
	22. इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-12 म.सं.12/40 से 12/97 तक सड़क/नाली व इंटरलाकिंग कार्य	7.65		
	एक प्रतिशत लेबर सेस	1.90		
	योग	192.25	192.25	48.625

(₹ अडतालीस लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र)

(Handwritten mark)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
 2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
 3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
 4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
 5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
 6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
 9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
 11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना- 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भयदीय,

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-68/2015/5726(1)/नौ-5-2014-36बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्टर कोषागार, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आष-व्ययक(अनुभाग-1/2)
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

9/12

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-16/03/2015


प्रेषण संख्या:- 68-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 001-68-2015-5726-9-5-2014-36Bud-15
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4862500 238139000	4862500 238139000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4862500 238139000	4862500 238139000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़तालीस लाख बासठ हजार पाँच सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ इक्यासी लाख उनचालीस हजार


(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव